छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–22 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 12 / 12 / 2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.119 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।

2.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।

3. विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–22 / 2023 / 10–2, दिनांक 25.08.2023।

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–882/2402,दिनांक 16.10.2023 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–882/1995, दिनांक 12.08.2024।

––––00––––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित प्रकरण में सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति जारी की गई थी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर राज्य शासन से सामान्य अनुमोदन के तहत् औपचारिक अनुमति का अनुरोध किया गया है।

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में प्रदायित पालन प्रतिवेदन के आधार पर तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 3 में उल्लेखित तालिका में दर्शित विवरण अनुसार 42.380 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 2.119 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 0.502 हे. संरक्षित वन भूमि 0.242 हे. नारंगी वन भूमि 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन (Stage-II Approval) अंतिम चरण की स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा।

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को प्रेषित करेंगे।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

274

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तो का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–22 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12 / 12 / 2024

प्रतिलिपि :–

1.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल,विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

o/c